संख्या-37/2016/976 ई-2/तेरह-2016-126/2013

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 24 जून, 2016

विषय: वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा की इकोनामी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणियों में 180 एम0एल0 धारिता के टेट्रा पैक में भी आपूर्ति अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-189/दस-लाईसेन्स 367/खण्ड-2/सुझाव आबकारी नीति 2015-16 दिनांक 03 फरवरी, 2016, जी-213/दस-लाईसेन्स 367/खण्ड-2/सुझाव आबकारी नीति 2015-16 दिनांक 20 फरवरी, 2016, जी-15/दस-लाईसेन्स 367/खण्ड-2/सुझाव आबकारी नीति 2015-16 दिनांक 13 अप्रैल, 2016 तथा वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के लिये आबकारी नीति निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-06/2016/427 ई-2/तेरह-2016-56/2015, दिनांक 17 फरवरी,2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में वर्ष 2015-16 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की इकोनामी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणियों में 180 एम0एल0 धारिता के टेट्रा पैक में भी आपूर्ति अनुमन्य किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-24/2015/681 ई-2/तेरह-2015-126/2013, दिनांक 15 जून, 2015 तथा टेट्रा पैक पर सेल्फ लाइफ अंकित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-05/2016/173/ ई-2/तेरह-2016-126/2013, दिनांक 07 फरवरी, 2016 का संदर्भ देते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 180 एम0एल0 की धारिता में टेट्रा पैक में आपूर्ति की वर्ष 2015-16 हेतु अनुमन्य व्यवस्था को वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की इकोनामी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणियों में वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2016-17 एवं वर्ष 2017-18 हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन अनुमन्य कराये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) टेट्रा पैक पर सेल्फ लाइफ अर्थात "टेट्रा पैक में भरी हुई मदिरा का उपभोग भराई के दिनांक से 09 माह की अवधि में अनुमन्य है" का उल्लेख किया जायेगा।

(2) 09 माह के बाद टेट्रा पैक में भरी गई मदिरा का उपभोग अनुमन्य न होने के कारण इसकी बिक्री की अनुमति नहीं दी जायेगी और उक्त मदिरा को विनष्ट करा दिया जायेगा।

(3) टेट्रा पैक पर उसमें भरी हुई मदिरा की मात्रा के उल्लेख के साथ ही मदिरा सहित टेट्रा पैक के वजन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(4) उपयोग किये जाने से पूर्व टेट्रा पैक की गुणवत्ता एवं उसमें मदिरा भरे जाने के सन्दर्भ में Central Food Technology Research Institute (CFTRI) Mysore अथवा Industrial Toxicology Research Center, Lucknow अथवा Indian Institute of Packaging, New Delhi. का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के उपरान्त टेट्रा पैक में मदिरा भरी जायेगी।

(5) टेट्रा पैक छः स्तरीय होगा।

3- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय, प्रशासकीय नियमों एवं संगत पर्यावरणीय नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत वांछित पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने तथा पर्यावरणीय नियमों/ मा0 न्यायालयों के आदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in